



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरातना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-47/आउटसोर्सिंग,भाग-तीन/कृषि/2015-16/ दिनांक:-16.07.2015

निविदा सूचना

(ठेके पर बीजोत्पादन हेतु)

सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान) के खण्ड दो के चक 2 एम. जी.एम., 4 एम.जी.एम., 6 एम.जी.एम. व आई.डब्ल्यू.एम.-दो (कुल एरिया 542 एकड़ सिंचित क्षेत्र) को ठेके के माध्यम से कृषि फसलों (रबी 2015-16) के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से 15 सितम्बर 2015 से 31 मई 2016 तक देने के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दिनांक 12.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये उसी दिन साय: 4.00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। दिनांक 12.08.2015 को कोई निर्णय नहीं होने पर निविदायें वैकल्पिक तिथियो 19.08.2015 व 26.08.2015 तक पुनः निर्धारित समय अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी। जिसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जावेगी। निविदा मे भाग लेने के लिए प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु. 500/-का डी.डी. जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा शुल्क की निर्धारित राशि रु. 500/-का डी.डी. निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। अमानत राशि का डी.डी. रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नाम से जैतसर में, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। असफल निविदादाता/ बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता/ निविदा दाताओं की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ पैनकार्ड, राशनकार्ड व वोटर आई.डी. की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरातना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-47/आउटसोर्सिंग,भाग-तीन/कृषि/2015-16/ दिनांक:-16.07.2015

निविदाप्रपत्र

ठेके के माध्यम से केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला श्रीगंगानगर की चक नं. 2 एम.जी.एम., 4 एम.जी.एम., 6 एम.जी.एम. व आई. डब्ल्यू. एम.-दो का कुल क्षेत्र 542.0 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन के लिये दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ठेके की अवधि एक वर्ष (15 सितम्बर, 2015 से 31 मई, 2016 तक)

क्र.सं.	फसल सीजन	फसल का नाम	चक/एरिया (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 542.0 एकड़ के लिए रूपयों में (अंको व शब्दों में लिखे)
				भूसा सहित
2	रबी 2015-16	सरसों, गेहूँ, जौ	542.0 एकड़ लगभग	

धरोहर राशि रुपये डी.डी. नं. दिनांक बैंक

निविदा दाता का नाम

पूरा पता

फोननं.

पेन नं. (प्रतिलिपि सहित)

वोटरआइडी (प्रतिलिपि सहित)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तों से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./ जैत./ 10-47 / आउटसोर्सिंग,भाग-तीन/ कृषि/ 2015-16/ दिनांक:-16.07.2015

न्यूनतम उपज सीमा

चक नं.	फसल का नाम मय एरिया (एकड़)	फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति एकड़ (क्विंटल में)
2 एम.जी.एम., 4 एम.जी.एम. व 6 एम.जी.एम., आई.डब्ल्यू.एम.-दो		
रबी 2015-16	सरसों	3.00
	गेहूँ	7.00
	जौ	6.00
कुल क्षेत्र	542.0 एकड़	

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

जिला श्रीगंगानगर (राज0)

16/7/15

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में खण्ड दो के चक 2 एम.जी.एम., 4 एम.जी.एम., 6 एम.जी.एम. व आई.डब्ल्यू.एम.-दो के सिंचित क्षेत्र की कृषि भूमि पर ठेके के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए नियम व शर्तें

1. फार्म भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम चक नं. 2 एम.जी.एम.(38.0 एकड़), 4 एम.जी.एम.(116.0 एकड़) 6 एम.जी.एम.(148.0 एकड़) व आई.डब्ल्यू.एम.-दो(240.0 एकड़) कुल 542.0 एकड़ जमीन हेतु ठेके की अवधि 15 सितम्बर 2015 से 31 मई 2016 तक अथवा रबी 2015-16 फसल खाली होने तक रहेगी। उक्त अवधि में रबी की ही फसल उगाई जायेगी।
2. ठेकेदार को फार्म पर बीज उत्पादन हेतु पूरा चक/चकों की जमीन का उपयोग करने का अधिकार 15 सितम्बर 2015 से 31 मई 2016 तक अथवा रबी 2015-16 फसल खाली होने तक रहेगा। ठेकेदार को केवल बीज उत्पादन के लिये निर्धारित चक/एरिया को काम में लेना होगा। चक/एरिया पर सदैव फार्म का ही हक होगा। ठेके की अवधि पूर्ण होने पर ठेकेदार का वह वर्तमान ठेका स्वतः रद्द हो जायेगा।
3. फार्म का चक/जमीन जहां है जैसी है उसी स्थिति में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से बीज उत्पादन कार्य के लिये दी जायेगी। निविदा पश्चात् ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा की मांग मान्य नहीं होगी। ठेके पर लिये गये चक/जमीन के लिये निर्धारित नहर का मोघा (आऊटलेट) उसी में उपयोग के लिये रहेगा। यदि चक पर ट्यूबवैल आदि साधन है तो ठेकेदार सिंचाई के लिये अपने स्वयं के संसाधन एवं खर्च से उसका उपयोग फसल सिंचाई हेतु कर सकेगा।
4. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत फार्म की जमीन पर बीजोत्पादन की दर अनुसार ठेके के लिये जितनी राशि निश्चित होगी तीन किशतों में निम्न प्रकार जमा करानी होगी।
 1. पहली किशत (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) ठेका स्वीकृति के तुरन्त बाद 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
 2. दूसरी किशत (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 30 नवम्बर 2015 तक जमा करानी होगी।
 3. तीसरी किशत (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 31 मार्च 2016 तक जमा करानी होगी।निर्धारित तिथि के तीन दिन के अन्दर देय किशत का ठेकेदार द्वारा भुगतान न देने पर अथवा देरी से किये गये भुगतान पर निर्धारित तिथि के बाद 18% की दर से ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित तिथि के एक माह तक ब्याज समेत देय धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार की पूर्व में जमा समस्त राशि जब्त कर ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
5. निविदा दर स्वीकृति के बाद कार्य आदेश (Work Order) जारी किया जायेगा, जिसके जारी होने के सात दिवस के अन्तर्गत प्रथम किशत की पूर्ण राशि ठेकेदार द्वारा जमा करवानी होगी तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु संविदा (एग्रीमेन्ट) जो कि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा, जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदा की मूल प्रति निगम के पास ही रहेगी तथा प्रमाणित प्रति ठेकेदार को दी जाएगी।
6. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम और भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, जमा कराना होगा। निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सफल ठेकेदार की धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जायेगा। सुरक्षा राशि स्वीकृत निविदा की कुल राशि का 3 प्रतिशत होगी, जो ठेके के अन्तर्गत समस्त कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि सुरक्षा राशि धरोहर राशि से कम रहती है तब ऐसी स्थिति में पूर्ण धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
7. ठेकेदार द्वारा रबी 2015-16 हेतु दरें (15 सितम्बर 2015 से 31 मई 2016) के लिये प्रति एकड़ की दर संयुक्त रूप से दी जायेगी। ठेकेदार द्वारा प्रति एकड़ दर पूरे ठेका अवधि (15 सितम्बर 2015 से 31 मई 2016) के लिये घास, भूसा सहित प्रस्तुत करनी होगी।
8. फसल कटाई के उपरान्त पशु, भेड़, बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी, वह फार्म की होगी।
9. फार्म से ठेकेदार द्वारा ली गयी जमीन पर फसल/प्रजाति क्षेत्र का निर्धारण फार्म द्वारा होगा, जिसमें रबी में गेहूँ, जौ, सरसों आदि फसलें होगी।
10. आधार/प्रजनक/प्रमाणित बीज फार्म द्वारा निर्धारित दर पर नकद भुगतान पर ठेकेदार को दिया जायेगा।
11. ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु पूरा इनपुट जैसे खाद, दवाई, श्रमिक, मशीन उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर व खर्च से करनी होगी।
12. फार्म से कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण/मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया जमा करना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित चक पर स्थित चल/अचल समस्त परिसम्पति बाबत एक हलफनामा (अंडरटेकिंग) देना होगा कि विभागीय जमीन/पेड़ आदि सम्पति का व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा और किसी भी सम्पति का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
14. पानी की नालियों/खाला/नहर आदि की सफाई ठेकेदार को स्वयं के खर्च से करनी होगी।
15. बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये नियमानुसार पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ठेकेदार को ही अपने खर्च से करनी होगी।
16. बीज फसलों के प्रमाणीकरण प्रक्रिया में निरस्त होने के कारण तथा उत्पादित बीज के जमाव आदि में निरस्त होने के कारण फार्म को होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

17. समस्त कृषि कार्य यथा खेत की तैयारी, बुआई, रोगिंग, खाद, दवाई छिड़काव, निराई, फसल कटाई, थ्रैसिंग, पंखे से सफाई, बोरियों में भरना तथा तुलाई आदि कार्य फार्म प्रतिनिधि की देखरेख/निर्देशानुसार करने होंगे। पंखा व बारदाना फार्म द्वारा दिया जाएगा।
18. खेती से सम्बंधित समस्त प्रकार के खर्चे जो बीज उत्पादन पर होंगे, वह ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
19. बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन की जायेगी।
20. फार्म का चक/जमीन ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश यदि फसल नहीं हो पाती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. ठेकेदार को दी गयी चक/जमीन की सीमा में उगायी गयी फसल, पेड़ व अन्य समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर व खर्चे पर की जायेगी।
22. फसल के कम या अधिक पैदावार पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। फार्म द्वारा निश्चित की गयी न्यूनतम उत्पादन सीमा से प्रत्येक फसल में कम उत्पादन आने की स्थिति में कम उत्पादन की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी। न्यूनतम उपज सीमा सरसों-3.0 क्विंटल प्रति एकड़, गेहूं-7.0 क्विंटल प्रति एकड़ तथा जौ-6.0 क्विंटल प्रति एकड़।
23. विधायन के उपरान्त अण्डरसाईज बीज फार्म का होगा।
24. ठेकेदार द्वारा अपने लिये कोई अन्य फसल उक्त जमीन पर नहीं बोई जायेगी।
25. ठेकेदार द्वारा फार्म की जमीन पर उत्पादित कुल राँ बीज को फार्म को सुपूर्द करना होगा। सुपूर्द किये राँ बीज की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निश्चित समर्थित मूल्य पर साफ राँ बीज की मात्रा पर किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थित मूल्य निश्चित नहीं होगा तब उस स्थिति में निर्धारित स्थानीय मण्डी में अधिकतम बीज आवक की निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बंधित उत्पाद के आवक का अधिकतम मूल्य के औसत के आधार पर राँ बीज का भुगतान किया जायेगा, जिसका समय इस प्रकार होगा:-, सरसों - 16 मार्च से 15 अप्रैल, गेहूं - 11 अप्रैल से 10 मई तथा जौ - 25 मार्च से 24 अप्रैल होगा। यदि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बोनस दिया जाता है तो वह फार्म द्वारा देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादन हेतु निम्न प्रकार से प्रीमियम देय होगा :-

उपरोक्तानुसार निश्चित किये राँ-सीड के
मूल्य का विधायन उपरान्त प्राप्त बीज मात्रा पर

- | | |
|--|------|
| 1.- न्यूक्लियस बीज से प्रजनक बीज उत्पादन | 10 % |
| 2.- प्रजनक बीज से आधारीय बीज उत्पादन | 7 % |
| 3.- आधारीय बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन | 5 % |

उपरोक्त प्रीमियम का भुगतान संतोषजनक बीज परीक्षण रिपोर्ट/ग्रे आऊट टेस्ट आने के उपरान्त किया जाएगा।

26. ठेकेदार को फार्म द्वारा राँ-सीड के भुगतान की अवधि निम्नप्रकार रहेगी:-
 - (1.) कुल राँ-सीड की कीमत का 80 प्रतिशत भुगतान राँ-सीड के फार्म गोदाम पर सही स्थिति में जमा करने पर 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
 - (2.) शेष 20 प्रतिशत राँ-सीड की राशि व बीज पर दिये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान बीज परीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात् 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।
27. ठेकेदार को फसलों की बुवाई-कटाई आदि कार्य निर्धारित समय में अपने खर्चे से करना होगा।
28. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्तियों/श्रमिकों की सूची नाम, पते व नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सहित ठेकेदार को फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी।
29. ठेकेदार अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण, वाहन आदि की चोरी, क्षति या डकैती आदि के लिए निगम जिम्मेवार नहीं होगा।
30. ठेके के दौरान यदि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि व दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों/व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि निगम कर्मचारी से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है तो निगम ठेकेदार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
32. टीडीएस, ईपीएफ व अन्य वैधानिक दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
33. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेड़ी है तो ठेकेदार द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तथा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाएगी।
34. ठेकेदार द्वारा ठेके पर लिये गये चक/एरिया को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
35. ठेकेदार व निगम के बीच में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित/मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों पर अन्तिम व मान्य होगा एवं उसके बाद किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र का क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा।
36. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निदेशक को निरस्त करने का अधिकार होगा।
37. ठेकेदार ने यह बात भली-भाँति समझ ली है कि उपरोक्त कार्य हेतु आऊटसोर्सिंग की जाने वाली गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु जो भूमि फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी, उसके बारे में वह किसी भी व्यक्ति, संस्था व प्राधिकरण को अपना झूठा हक बताकर सम्बन्धित जमीन का रेहन, गिरदावरी इत्यादि नहीं करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।